

7-11 मार्च, 2024 तक नई दिल्ली में आहार-अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला, प्रगाति मैदान 2024 में

भागीदारी के संबंध में पारपत्र

ए. पात्रता

1. मार्च 7-11, 2024 से आहार 2024, नई दिल्ली में टा बांड के साथ भाग लेने के इच्छुक चाय कंपनियां/आवेदक को टा बांड के साथ पंजीकृत होना होगा। उपरान्त के संबंध में अधिकृत हस्ताक्षरकता द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ वध लाइसेंस (जैसे आरसाएमसा, बायस लाइसेंस या एक्सपाटस लाइसेंस) का प्राप्ति कंपनी का मुहर सहित जमा करना होगा।
2. कंपनी अपना कंपनी का मुहर सहित अधिकृत हस्ताक्षरकता द्वारा हस्ताक्षरित एक अडरटाकंग प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि यह कंपनी वाणिज्य एवं व्यवसाय से संबंधित किसी भी आधार पर किसी भी जांच के अधीन /आरोप के अधीन /आभ्यासित/विवाजित/ब्लॉक लिस्टेड नहीं है।
3. कंपनी/आवेदक को आहार, 2024 में केवल 100% भारतीय चाय का ही प्रदर्शना/बिक्री करना होगा।

बी. आवेदन की प्रक्रिया

1. भागीदारी के लिए इच्छुक चाय कंपनियां का भागीदारी में अपना अभिप्राय का सूचना देते हुए टा बांड का एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। टा बांड के साथ प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए आवेदन पर नाम दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज और भागीदारी शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।
2. टा बांड का वेबसाइट पर अपलोड करने का साथ ही पहले किसी भी आवेदन/सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. संबंधित मेला/प्रदर्शनियों के लिए भागीदारी शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करने का अंतिम तिथि 28.02.2024 है। किसी भी परिस्थिति में 28.02.2024 का कट-ऑफ तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन/भागीदारी शुल्क पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. इच्छुक चाय कंपनियां का अपना कंपनी का आवेदन बिल्ट-अप स्पेस का कुल लागत का 40% वहन करना होगा। आवेदक का एनईएफटा/आरटाजाएस के माध्यम से 90,000/- रुपये का भागीदारी शुल्क का भुगतान "टी बांड बाजार संवर्धन" के पक्ष में एनईएफटा/आरटाजाएस के माध्यम से करना होगा एवं भुगतान के पश्चात उनके आवेदन पत्र के साथ यूटीआर संख्या जमा करना होगा। प्रत्येक अलग-अलग मेला/प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आतिथ्य/अव्ययित राशि का कंपनी के वास्तविक लागत के वरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यदि 9 वर्गमीटर वाला स्टाल का कुल लागत 90,000/- रुपये से अधिक है, तो आतिथ्य राशि का भुगतान कंपनी द्वारा टा बांड का करनी होगी।

यह राशि एनईएफटा/आरटाजाएस द्वारा जमा की जाएगी

Account No: 00260200000807

Account Name: "Tea Board Market Promotion Scheme"

IFSC: BARB0BRABOU

Bank: Bank of Baroda

Branch: Brabourne Road, Kolkata.

सी. जमा किए जाने वाले दस्तावेज :

1. मुहर और हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित आवेदन पत्र ;
2. टा बांड टाएमसाआ 2003/कृताआ के पंजीकरण द्वारा जारी नवीनतम लाइसेंस का स्व-प्रमाणित प्रत ;

3. टा बाड क साथ कपना/आवेदक क पजाकरण क साक्ष्य वाल प्रासागक दस्तावजा का प्रातया ;
4. कंपनी द्वारा वाधवत हस्ताक्षर स्व-घोषणा, जिसम यह उल्लेख होना चाहिए कि यह कंपनी वाणज्य एवं व्यवसाय से संबंधित किसी भी आधार पर किसी भी जांच के अधीन /आरोप के अधीन/ आभयाजित/ वाजाजत/ब्लक लिस्टड नहा है ;
5. कंपनी के लेटरहेड पर दा गई घोषणा का स्कन कॉपी ;
6. सरकार या किसी अन्य संगठन के किसी अन्य योजना से विशेष कार्यक्रम के लिए लाभ नहा लेने का घोषणा का स्कन का गई प्रात ;
7. कपना द्वारा वाधवत हस्ताक्षरत स्व-घोषणा, कि कपना टा बाड डाइया द्वारा प्रदान किए गए स्टाल स कवल 100% आगानक भारताय चाय प्रदाशत करगा आर बचगा।
8. गैर-प्रातभागया क भागादारा शुल्क आर आवदन शुल्क त्याग दन क सबध म आवदक द्वारा दा जान वाला घोषणा का हस्ताक्षरत प्रात, याद व आयाजन स 15 दिन या उसस कम समय स पहल भागादारा स बाहर हा जात हा।
9. आवदक द्वारा हस्ताक्षरत स्टाप पपर पर घोषणा करत हुए स्व-घोषणा कि आवदक सुसाज्जत बूथ क लिए शुल्क का आतम गणना क बाद भागादारा क लिए आवश्यक किसी भा आतारक्त राश का भुगतान करन क लिए सहमत हा। याद चाय कपना उस आतारक्त राश का भुगतान करन म वफल रहता हा, ता टा बाड उस विशेष कपना क पजाकरण/लाइसंस/पहचान का रद्द/निलाबत करन आर कपना का काला सूचा म डालन क लिए स्वतंत्र हा।
10. लघु चाय उत्पादका (एसटाजा) क मामल म एसटाजा स्माट काड का प्रात ।
11. एससा/एसटा एसटाजा क मामल म प्रमाण क रूप म एससा/एसटा प्रमाण पत्र ।

उपराक्त सभा दस्तावजा म कपना क आधिकृत हस्ताक्षरकता क हस्ताक्षर क साथ कपना का मुहर हाना चाहिए।

डा. शत व निबधन

1. टा बाड के साथ आहार 2024, मार्च 14-18 म भाग लेने के लिए, प्रत्येक प्रातभागो कंपनी को यथासंभव न्यूनतम विशेष स्थान प्रदान किया जाना है।
2. बाड के स्टालो से केवल भारतीय जैविक चाय प्रदाशत को जा सकती है। गैर-चाय उत्पाद (अथवा कैमेलिया साइनोसेस सयत्र से प्राप्त उत्पाद नहीं) या अन्य पेय पदार्थों के साथ-साथ भारत के अलावा अन्य मूल चाय को स्टालो से प्रदाशत नहीं किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा।
3. प्रातभागियों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके प्रदर्शन को सौंदर्यपूर्ण तरीके से रखा गया है और उनके आवंटित स्थान को प्रदर्शनों की पूरी अवधि के दौरान ठीक से व्यवस्थित किया गया है।
4. जिन चाय कंपनियों के पास प्रदाशत करने के लिए उत्पादों और नमूनों की एक बड़ी श्रृंखला है, जिन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता है, उन्हें वास्तविक लागत पर अतिरिक्त स्थान प्रदान किया जा सकता है यदि चाय बाड का बजट अनुमति देता है और यदि अन्य प्रातभागियों को समायोजित करने के बाद चाय बाड के बूथ के साथ अतिरिक्त स्थान प्राप्त करना संभव है, बशर्ते वे अपनी आवश्यकता को पहले से ही बता दें। पैकेज्ड उत्पादों के पर्याप्त और विविध प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ी हुई जगह का उचित उपयोग किया जाना चाहिए।

5. समूह कंपनियों के लिए केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा जहां पूरे समूह को एक आवेदक माना जाएगा।
6. टों बोर्ड द्वारा आवश्यक स्थान उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण कंपनी द्वारा एक अलग स्टाल से भाग लेने के विकल्प के मामले में, टों बोर्ड लागत वहन नहीं करेगा या स्टाल स्थान को प्रांतेपूत पर विचार नहीं करेगा।
7. किसी विशेष आयोजन/मेले/प्रदर्शनी में उपलब्ध स्थान से अधिक सख्य में आवेदन करने वाले आवेदकों को स्थिति में महत्व के अवरोही क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों को वरीयता दी जाएगी:
 - (1) मूल्य बांधत/जीविक चाय/विशेष चाय में काम करने वाली कंपनियां/आवेदक (25%)
 - (2) एमएसएमई
 - (3) लघु चाय उत्पादक/एसएचजी एव लघु उत्पादकों का एफपीसी
 - (4) अनु.जा एव अनु.जनजा लघु उत्प
 - (5) बड़ी कंपनियां

याद किसी विशेष श्रेणी में अधिक सख्य में प्रांतेभागी है, उस विशेष श्रेणी के लिए आवेदक का चयन लॉट के माध्यम से किया जाएगा।

एसटीजी को रुपये 1180/- को छोड़कर स्टाल के लिए प्रत्येक भागीदारी शुल्क के रूप में किसी भी शुल्क से छूट दी जाएगी। एक स्टाल से 2/3 एसटीजी भाग ले सकते हैं। 2 से अधिक एसटीजी प्रांतेभागीयों के होने की स्थिति में, चयन लॉट के माध्यम से किया जाएगा। एससी और एसटी छोटे उत्पादक के प्रांतेभागीयों के लिए कोई भागीदारी शुल्क नहीं होगा। तथापि, सभी मामलों में, चाय बोर्ड अनुमोदित प्रांतेशत हिस्से के अनुसार स्टाल के लिए केवल किराया प्रभार वहन करेगा। कोई अन्य शुल्क जैसे, यात्रा, आवास, नमूना उपकरण, रसद, आंतरिक साज-सज्जा और अन्य आकास्मिक शुल्क आदि चाय बोर्ड द्वारा वहन नहीं किए जाएंगे।
8. आवेदकों को भागीदारी शुल्क जम्मा कर ली जाएगी याद वे आयोजन के प्रारंभ से 15 दिनों से कम समय में कार्यक्रम से बाहर होने की सूचना देते हैं। याद 15 दिन से अधिक समय पहले एक आवेदक द्वारा कार्यक्रम से बाहर निकलने की सूचना के संबंध में याद एक वैकल्पिक प्रांतेभागी स्टाल स्थान लेने के लिए नहीं पाया जाता है, तब भी आवेदक द्वारा जमा किए गए धन को जम्मा कर लिया जाएगा।
9. टों बोर्ड केवल साधारण सुसज्जित स्टाल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताएँ जैसे यात्रा, आवास, नमूना उपकरण, रसद, आंतरिक साज-सज्जा और अन्य आकास्मिक शुल्क की व्यवस्था कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।
10. याद आवेदक द्वारा प्रदान किया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है और याद कोई प्रासंगिक जानकारी छिपी हुई पाई जाती है, तो टों बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सहायता की राशि को ब्याज दर @ रेपो दर + 5% के साथ वापस करना होगा।
11. विवाद के सभी मामलों में, सलाहकार समिति, चाय बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

इ. विवादों का समाधान

किसी भी आवेदन से उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में, उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड का नियमित अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एफ. आवेदन जमा करना

1. सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित प्रारूप में अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे।
2. सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक अपना आवेदन निम्नलिखित प्रारूप में आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन उपनिवेशक, टी. बोर्ड, 14 बी.टी.एम.सर्णी, कोलकाता-700001 को जमा करें।
3. दावों की वैधता के बारे में मजूरी देने वाले प्राधिकारों के सतुष्ट होने के बाद, ई-भुगतान तंत्र के माध्यम से धन जारी किया जाएगा। आरटीजीएस/एनईएफटी/पीएफएमएस। उप-घटक के प्रशासनिक और परीक्षण व्यय को आवंटित निधि से वहन किया जाएगा।

जी. उप-घटक में संशोधन

टी. बोर्ड अपने विवेक से, योजना के कुशल और प्रभावी निष्पादन और अपने उद्देश्यों को पूरे के लिए आवश्यक समझे जाने के बिना उप-घटक के किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन, विस्तार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

एन.बी.

ऐसे व्यक्तियों के आवेदन जो स्वीकृत प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव, पुरस्कार, उपहार या कोई भौतिक लाभ, या कोई जबरदस्ती करने का सहारा लेते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

7-11 मार्च, 2023 तक नई दिल्ली में आहार, 2023 में भागीदारा के लिए आवेदन

क्रम. स	विषय	विवरण
1	फर्म/कंपनी/संगठन का नाम	
2	पूर्ण संचार निदेशांक (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, पंजीकृत कार्यालय का पता)	
3	आयोजन में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम	
4	समूह कंपनी का नाम	
5	चाय बोर्ड के साथ पंजीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों का नाम और संख्या	
6.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कंपनी का वार्षिक कारोबार (पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए अलग से उल्लेख करें) वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3	
7	भागीदारों के लिए मेल/प्रदर्शनी/बीएसएम का विवरण नाम: शहर: राज्य: आयोजन की अवधि..... सेतक	
8.	क्या अन्य सरकार से सहायता प्राप्त की गई है क्रमांक 7 पर सदस्य के अंतर्गत आयोजन के लिए निकाय/ईपीसी/कमोडिटी बोर्ड/एपीडा/एमपीडोए/आईटीपीआ आदि।	

घोषणा

मैं/हम सत्यानेष्ट से वचन देते/घोषणा करते हैं कि ऊपर वर्णित विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

कोई भी जानकारी यदि गलत, या भ्रामक पाई जाती है, तो हम चाय बोर्ड के साथ आगामी कार्यक्रमों में हमारी भागीदारी को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होंगे, इस संबंध में हमारे खिलाफ की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रातिकूल प्रभाव डाले बिना।

यदि जांच के परिणामस्वरूप मुझे/हमें कोई आंतरिक भुगतान किया गया पाया जाता है, तो इसे मेरी/हमारी फर्म द्वारा किए जाने वाले किसी भी बाद के दावों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है या यदि बाद में कोई दावा पाइपलाइन में नहीं है, अधिक भुगतान की गई राशि मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की गई आंतरिक राशि की सीमा तक वापस कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर _____

नाम (मोटे अक्षरों में) _____

पद _____

आवेदक का नाम _____ फर्म _____

कार्यालय सील _____

स्थान:

दिनांक: